न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 121/2014

अनवान :

1. विद्या उर्फ भूरी पुत्री सुलतान पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ हाल मेघाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादिया

बनाम

1. मंनशा देवी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0अधि1955
उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादिया
निर्णय **दिनांक :** 17.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ के खाता सं0 329/282 के खसरा सं0 411 की 8.0680 है0 बारानी व खसरा सं0 499 की 2.3400 है0 बारानी व खसरा सं0 647/548 की 2.1500 है0 बारानी कृषि भूमि इस प्रकार इस खाता की कुल 12.5580 है0 बारानी कृषि भूमि है जिसमें वादिया का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादीया सं0 1 का 4/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 का 4/9 हिस्सा कृषि भूमि है, वादिया व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि स्वयं काश्त करते आ रहे है।

विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज है। वादिया व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा की भूमि काश्त करते आ रहे है। परन्तु कागजात–माल में खाता संयुक्त होने के कारण वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य काश्त व लगान की बाबत आपस में तनाजा बना रहता है। इसलिए वादिया अपने हिस्सा की कृषि भूमि अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दी के हिसाब से खाता व लगान दिगर प्रतिवादीगण से अलग कायम करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

वादिया अपने हिस्से की कृषि भूमि स्वयं काश्त करती है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 व 2 जबरदस्ती उसको एलानिया तौर पर धमकी दे रहे है कि तुझे तेरे हिस्से की जमीन काश्त नहीं करने देंगे व काश्त शुदा भूमि में से फसल नहीं ले जाने देंगे व वादिया को धमकी दी की वे खेत में प्रवेश करेगी तो उसे जान से मार देंगे। ऐसी सूरत में वादिया प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने की कानूनी अधिकारी है कि वे वादिया को उसके 1/9 हिस्सा भूमि को उसे काश्त करने में कोई बाधा व दखल नहीं पहूंचावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार भादरा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्सा में वाद भूमि निम्नानुसार रहेगी :–

1. **विद्या उर्फ भूरीदेवी पुत्री सुलतान 1.395 है0 कौम जाट सा0 देह खातेदार :–** ग्राम कणाऊ खसरा सं0 4/1 की 0.759 है0 बारानी, खसरा सं0 499 की 0.130 है0 बारानी प्रथम, 665/548 की 0.506 है0 कुल 1.395 है0 बारानी प्रथम
2. **मनसादेवी पत्नी सुलतान 5.582 है0 महेन्द्र पुत्र सुलतान 5.581 है0 कौम जाट सा0 देह खातेदार के पास :** ग्राम कणाऊ के खसरा सं0 411/2 की 7.309 है0 बारानी प्रथम, खसरा सं0 499/2 की 2.210 है0 बारानी प्रथम खसरा सं0 666/548 की 1.644 है0 बारानी प्रथम कुल 11.163 है0 बारानी प्रथम

चूंकि वाद कृषि भूमि बैंकों के रहन हैं इसलिए बैंक रहन यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 121/2014

अनवान :

1. विद्या उर्फ भूरी पुत्री सुलतान पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी कणाऊ हाल मेघाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादिया

बनाम

1. मंनशा देवी पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु उपस्थित होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्सा में वाद भूमि निम्नानुसार रहेगी :–

1. **विद्या उर्फ भूरीदेवी पुत्री सुलतान 1.395 है0 कौम जाट सा0 देह खातेदार :– ग्राम कणाऊ** खसरा सं0 411/3 की 0.759 है0 बारानी, खसरा सं0 499 की 0. 130 है0 बारानी प्रथम, 665/548 की 0.506 है0 कुल 1.395 है0 बारानी प्रथम
2. **मनसादेवी पत्नी सुलतान 5.582 है0 महेन्द्र पुत्र सुलतान 5.581 है0 कौम जाट सा0 देह खातेदार के पास : ग्राम कणाऊ** के खसरा सं0 411/2 की 7.309 है0 बारानी प्रथम, खसरा सं0 499/2 की 2.210 है0 बारानी प्रथम खसरा सं0 666/548 की 1.644 है0 बारानी प्रथम कुल 11.163 है0 बारानी प्रथम

चूंकि वाद कृषि भूमि बैंकों के रहन हैं इसलिए बैंक रहन यथावत् रखा जाकर उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...17.1.19... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़